


18-12-19

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं।
उन्हे रूक-रूक कर बार बार आवाजे लगवाई गई। वे
उपस्थित नहीं आये। ना ही अनुपस्थिती का कोई कारण
हमारे समक्ष पेश हुआ। अतः अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3
जाबता दिवानी के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अदम
हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील
दाखिल दफतर की जावे। बसरे ईजलाश सुनाया गया।


(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

